

न्यायालय : व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-एक, अंजड जिला बड़वानी

{समक्ष : श्रीमती वंदना राज पाण्डेय}

दीवानी प्रकरण क्रमांक 18-ए/2016

संस्थित दिनांक- 12.07.2016

बंशीया पिता हीरालाल सिर्वी, आयु 40 वर्ष,
पेशा-कृषि, निवासी-ग्राम मलवाड़ी, तह. कुक्षी, जिला धार **-वादी**

वि रु द्ध

1. रुखमाबाई पति हीरालाल सिर्वी, आयु 40 वर्ष,
पेशा-कृषि, निवासी-ग्राम उचावद, तह.ठीकरी, जिला बड़वानी
2. जिलाधीश, बड़वानी **-प्रतिवादीगण**

वादी द्वारा विद्वान अभिभाषक - श्री बी. के. सत्संगी	
प्रतिवादी क्रमांक-1	- स्वयं
प्रतिवादी क्रमांक-2	- पूर्व से एकपक्षीय

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 29/08/2016 को पारित)

01- वादी ने यह वाद प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा उसके पक्ष में ग्राम हतोला, तहसील ठीकरी, पटवारी हलका नंबर-12 के सर्वे क्रमांक-225/1 रकबा 3.60 हैक्टेयर भूमि, जिसकी चतुर्सीमा पूर्व में रणछौड़ पिता छितर की भूमि, पश्चिम में शासकीय भूमि, उत्तर में नाला व दक्षिण में रणछौड़ पिता छितर की भूमि (जिसे प्रकरण में संक्षिप्तता व सुविधा की दृष्टि से आगे वादग्रस्त भूमि कहा जाएगा) के विक्रय विलेख को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है।

02- प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होना स्वीकृत तथ्य है।

03- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि रुपये 2,70,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र/-) में पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की, किन्तु उक्त भूमि का विक्रय मूल्य नामांतरण के समय देने का करार प्रतिवादी ने वादी से किया था और प्रतिवादी ने वादी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य नहीं सौंपा है और ना ही उसके पक्ष में नामांतरण किया था। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 27.06.2006 को निष्पादित किया गया था, किन्तु वादी के पास रुपयों की व्यवस्था नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 आपसी सहमति से उक्त विक्रय विलेख निरस्त कराना चाहते हैं, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 भी

सहमत है। प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 के विरुद्ध वादी ने कोई सहायता नहीं चाही है, मात्र औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 10.08.2016 को प्रतिवादी क्रमांक-2 के विरुद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

04— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने समंस तामीली उपरांत स्वयं उपस्थित होकर वादी के वाद का विरोध नहीं किया तथा प्रकरण में आपसी राजीनामा उभयपक्ष ने प्रस्तुत किया है। राजीनामे के आधार पर वादी व प्रतिवादी क्रमांक-1 का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर उसके द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 27.06.2006 को निरस्त करने के संबंध में सहमति प्रदान की है।

05— प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया गया। जिस विक्रय विलेख को निरस्त कराने के लिए वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, उसमें पृष्ठ क्रमांक-2 में स्पष्ट रूप में उल्लेख है कि विक्रेता को क्रेता ने वादग्रस्त भूमि की कीमत रुपये 2,70,000/— (अक्षरी रुपये दो लाख सत्तर हजार मात्र/—) अदा कर दिए हैं तथा विक्रय मूल्य कुछ भी लेना शेष नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य भी विक्रेता द्वारा क्रेता को सौंपा जाना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में उक्त लिखित दस्तावेज, जो कि पंजीकृत है, के विपरीत कोई भी साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 91 के अंतर्गत ग्राह्य नहीं है।

06— इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा जिस विक्रय विलेख को निरस्त कराने के लिए आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। उक्त विक्रय विलेख का निष्पादन दिनांक 27.06.2006 को हुआ है और वादी द्वारा यह वाद न्यायालय में दिनांक 03.08.2016 को प्रस्तुत किया गया है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 59 के प्रावधान अनुसार किसी लिखित दस्तावेज या बिक्री को रद्द अथवा अपास्त करने के लिए वाद प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि तथ्यों की जानकारी होने के 3 वर्ष के भीतर है। प्रस्तुत वाद में उक्त विक्रय विलेख वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा निष्पादित किया गया है और वादी अथवा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने यह अभिवचन अथवा कथन नहीं किए हैं कि उक्त विक्रय विलेख प्रपी-3 की जानकारी उन्हें वाद प्रस्तुत करने की दिनांक के 3 वर्ष पूर्व हुई। ऐसी स्थिति में वादी का वाद समयावधि में भी नहीं है। इस कारण भी वादी का वाद एवं प्रस्तुत राजीनामा स्वीकर करने योग्य नहीं है, क्योंकि विधि के विरुद्ध अथवा लेखबद्ध पंजीबद्ध किए गए किसी दस्तावेज के तथ्यों के विरुद्ध राजीनामा न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

07— ऐसी स्थिति में वादी का वाद एवं प्रस्तुत राजीनामा विधि के उपबंधों के विपरीत एवं वाद समयावधि के बाहर होने के आधार पर निरस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करें।

अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के अनुसार अथवा जो भी रकम प्रमाणित हुई हो अथवा दोनों में से जो कम हो, व्यय में जोड़ी जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
अंजड़, जिला बड़वानी

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
अंजड़, जिला बड़वानी

_Steno/S.Jain